... भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 11 / 2022
तारीख दायर : 25.01.2022

अनवान

1. लोकेश कुमार पिता बसन्तीलाल जाति नागोरी निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ

प्रार्थी...

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा।

विपक्षी...

उपस्थित :–

1. श्री अनिल पारीक (अधिवक्ता प्रार्थी)

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251–ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: निर्णय :–

दिनांक : 21.12.2022

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम केरपुरा पटवार हल्का जालिया तहसील माण्डलगढ़ की शरहद में प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि आ0न0 489 / 8 रकबा 0.1619 हेक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थी अपनी उक्त कृषि भूमि पर आने जाने सजबेल, ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने हेतु मुख्य सडक कोटा भीलवाडा पर होते हुये बिलानाम आ0न0 602 / 8 रकबा 16.7377 गे.मू. रडी मे होते हुये प्रार्थी की आ0न0 489 / 8 में प्रवेश करता है उक्त रास्ता मौके पर 20 फीट चोडा रास्ता है जिसका वर्तमान मे प्रार्थी व उसके परिवारजन उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। उक्त रास्ते का प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे मे लाल स्याही से दर्शाया गया है उक्त रास्ता कदीमी होकर पिछले 50 सालो से उपयोग उपभोग होता आ रहा है परन्तु उक्त रास्ता रेकार्ड में दर्ज न होने से प्रार्थी को निकट भविष्य में उक्त भूमि पर विपक्षी व अन्य व्यक्तियो द्वारा अतिक्रमण कर कब्जा कर लेने का पूर्ण रूप से अन्देशा है ऐसी स्थिती में प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि की आराजियात पर आने जाने एवम सज बेल एवम कृषि उपकरण लाने ले जाने से महरूम होना पड जायेगा उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड व नक्शे मे दर्ज नही है इसलिए प्रार्थी को रास्ते प्राप्त करने का दावा करने के अलावा अन्य कोई उपचार शेष नही रहा है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी की जमीन पर आने जाने हेतु वेकल्पिक रास्ता मोजूद नही है। उक्त रास्ते मे विपक्षी की जमीन का जो भी रकबा आयेगा उसका प्रतिकर प्रार्थी अदा करने के लिए तैयार है उपरोक्त वर्णित रास्ते को रेकार्ड एवम नक्शे मे सार्वजनिक रास्ता घोषित किया जाना न्याय संगत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी केरपुरा पटवार हल्का जालिया तहसील माण्डलगढ़ की शरहद में प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि आराजी संख्या 489 / 8 रकबा 0.1619 हेक्टर भूमि स्थित है। प्रार्थी अपनी उक्त कृषि भूमि पर आने जाने सजबेल, ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने हेतु मुख्य सड़क कोटा भीलवाडा पर होते हुये बिलानाम आ0न0 602 / 8 रकबा 16.7377 गे.मू. रडी मे होते हुये प्रार्थी की आ0न0 489 / 8 में प्रवेश करता हूँ उक्त रास्ता मोके पर 20 फीट चोडा रास्ता है उक्त 20 फीट चोडा रास्ता घोषित किये जाने का आदेश प्रदान करावे ।

बाद जांच प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र भेज तलब किया गया। विपक्षी राजस्थान सरकार की ओर से पेरोकार सरकार ने अपनी उपस्थिति दी एवं मौका रिपोर्ट हेतु निवेदन किया।

दिनांक 08.12.2022 को तहसीलदार माण्डलगढ के पत्र क्रमांक राजस्व / 2022 / 2 दिनांक 05.12.2022 से रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें अवगत करवाया कि प्रार्थीगण लोकेश कुमार पिता बसन्तीलाल जाति नागोरी निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ़ की ग्राम करपुरा पटवार हल्का जालिया के आराजी संख्या 489 / 8 रकबा 0.1619 हैक्टेयर नाम खातेदारी हक मे रिकॉर्ड दर्ज होकर उक्त भूमि पर पहुंचने हेतु राजस्व रिकॉर्ड मे रास्ता दर्ज नही है। यह है

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ

...र्थीगण की उक्त भूमि पहुंचने हेतु सरकारी रास्ता उपलब्ध नहीं है। यह है कि प्रार्थी द्वारा ...ी खातेदारी भूमि पर पहुंचने हेतु ग्राम केरपुरा पटवार हल्का जालिया स्थित बिलानाम ...राजी संख्या 602/8 रकबा 16.7377 हैक्टेयर में से 20 फीट चौडाई मे रास्ता चाहा गया है। यह है कि राजस्व रिकॉर्ड अनुसार ग्राम केरपुरा पटवार हल्का जालिया के आराजी संख्या 602/8 रकबा 16.7377 हैक्टेयर किस्म गेमू रडी बिलानाम रिकॉर्ड दर्ज है एवं प्रार्थी की खातेदारी भूमि पहुंचने हेतु उक्त आराजी संख्या 602/8 में से 20 फीट चौड़ाई में 0.0100 हैक्टेयर भूमि रास्ता हेतु प्रस्तावित की जा रही है। यह है कि रास्ता हेतु प्रस्तावित भूमि आराजी संख्या 602/8 में से 0.0100 हैक्टेयर भूमि भीलवाडा–बिगोद सडक के सहारे स्थित है। यह है कि प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी की आराजी संख्या 489/8 के उत्तरी–पूर्वी कोने से प्रारम्भ होकर सड़क तक पहुंचता है। प्रस्तावित भूमि को इंगित करते हुये नक्शा संलग्न है। यह है कि प्रस्तावित किया गया रास्ता लघुत्तम है। यह है कि रास्ता हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण नही है तथा प्रस्तावित भूमि वर्तमान मे सार्वजनिक रास्ते के उपयोग मे आ रही है। यह है कि रास्ता हेतु प्रस्तावित भूमि अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नही है तथा हाईटेंशन लाईन नही निकल रही है। यह है कि ग्राम केरपुरा पटवार हल्का जालिया की (100 मीटर तक) डी.एल.सी. दर 2225982 रू० प्रति हैक्टेयर है। प्रस्तावित रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि 0.0100 हैक्टेयर भूमि की मालियत 22260 रू की दुगुनी राशि 44520 /– रूपये अर्थात कुल प्रतिभुति राशि 44520/– रूपये (चौमालीस हजार पाच सौ बीस रूपये) रूपये बनती है।

दिनांक 21.12.2022 को हमने सर्वपक्षीय की बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी नक्शा एवं दिनांक 05.12.2022 को तहसीलदार माण्डलगढ से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत करवाया गया कि प्रार्थी की आराजी पर पहुँचने के लिए मौके पर व राजस्व रिकॉर्ड में अन्य कोई रास्ता नहीं हैं। प्रार्थी की आराजी पर पहुँचने के लिए उनके द्वारा मांगा गया रास्ता लघुतम है। विपक्षी की खाते की 0.0100 हैक्टेयर भूमि रास्ते के उपयोग हेतु ली जावेगी। रास्ते हेतु 0.0100 हैक्टेयर बिलानाम भूमि का उपयोग होगा जिसकी की वर्तमान डी.एल.सी. दर 2225982 रुपया प्रति हैक्टेयर से 44520 रुपया भूमि का बनता है। जो सम्पूर्ण बिलानाम सरकार की है। प्रथम दृष्ट्या प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतित होता है।

अतः राजस्थान कास्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–ए (क) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एवं संशोधित अधिसूचना नम्बर F3(2) rev.6/03/pt./7 दिनांक 02.03.2012 नियम 70 (1)(।।) () के अनुसरण में प्रार्थीगण लोकेश कुमार पिता बसन्तीलाल जाति नागोरी निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ़ की ग्राम केरपुरा पटवार हल्का जालिया के आराजी संख्या 489/8 रकबा 0.1619 हेक्टेयर पर पहूँचने हेतु अप्रार्थी राजस्थान सरकार की ग्राम कैरपुरा पटवार हल्का जालिया की बिलानाम आ0न0 602/8 रकबा 16.7377 गे.मू. रडी मे से (60 फीट लम्बाई व 20 फीट चौडाई) 0.0100 हैक्टेयर भूमि, जिसकी वर्तमान सिंचित 0 से 100 मीटर की डी.एल.सी. दर 2225982 रुपया प्रति हैक्टेयर से दुगना 44520 रुपया प्रार्थीगण द्वारा राजकोष में मद **0029–00–107–01–00** प्रतिभूति जमा करवाने पर गै.मु रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता रहेगा। तहसीलदार माण्डलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता अंकन करावें।

आदेश आज दिनांक 21.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * माण्डलगढ़, जिला-भीलवाड़ा

जय कौशिक (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ